सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 07 / 16</u> निर्णय दिनांकः—04.05.2018

1.	सरीफ खॉ	पुत्रगण स्व. अल्लाबक्स पुत्र पीरबक्स जाति मुसलमान
2.	फैयजा	निवासी बडेरण तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30—11—2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30—11—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट / वादीगण के पिता के नाम मौजारोही बडेरण तहसील लूणकरनसर के पुराना खसरा नम्बर 17 तादादी 2.12 बीघा, खसरा

नम्बर 147/18 तादादी 36 बीघा, खसरा नम्बर 162/18 तादादी 20 बीघा, खसरा नम्बर 193/89 तादादी 20 बीघा इस प्रकार कुल 78.12 बीघा भूमि संवत् 2012 से पूर्व कब्जे काश्त बतौर काश्तकार दर्ज चली आ रही थी। वादगत् भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है।

तत्पश्चात् अपीलांट्स के पिता के नाम ग्राम बडेरण तहसील लूणकरनसर की मूल पैमाईश व काश्तकार होने पर खसरा नम्बर 17 में 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 117/18 में 36 बीघा, खसरा नम्बर 182/18 में 20 बीघा, खसरा नम्बर 241/89 में 20 बीघा इस प्रकार कुल 78.12 बीघा भूमि नकल जमाबन्दी ग्राम बडेरण में बतौर काश्तकार जमाबन्दी संवत् 2018 से 2023 दर्ज थे जो मेघराज लम्बरदार के काश्तकार थे। अमलाराज ने अपीलांट्स के पिता को आगामी जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में अपीलांट्गणों के पिता को खसरा नम्बर 17 तादादी 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 147/18 तादादी 36 बीघा, खसरा नम्बर 162/18 में 20 बीघा, खसरा नम्बर 193/89 की 20 बीघा कुल 78.12 बीघा भूमि का गैर खातेदार कृषक जमाबन्दी में कॉलम संख्या 4 में दर्ज किया गया जिसका कुल लगान 23.24 रूपये अदा किये गये व इतनी ही रकम संवत् 2018 से 2023 की जमाबन्दी में दर्ज है। उन्होंने आगे बताया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादगत् भूमि जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 की 78.12 बीघा के पुराने खसरा नम्बर 17, 147/18, 162/18 व 193/89 के नये खसरा नम्बर 23, 25, 164, 165, 166 व 133 बनाये गये। जिसमें वादीगण की 59..7 बीघा भूमि दर्ज की गई व 19.05 बीघा भूमि जो 18 मिन की थी कम करते हुए नये खसरा नम्बर 54 में शामिल कर दी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सेटलमेंट विभाग द्वारा जो भूमि कम की गई है उसे जरिये वाद धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा जो तनकीयात् कायम की गई है

उक्त तनकीयात् वाद के मध्येनजर सही कायम नहीं की गई एवं जो तनकीयात् कायम की गई थी उनकी सही विवेचना भी अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि के पुराने आवंटी एवं कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। जबकि अपीलांट्स द्वारा अपने दावे में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि वादगत् भूमि उन्हें आवंटित भूमि थी। वादी पहले लम्बरदार के काश्तकार थे तथा वाद में वे गैर खातेदार दर्ज हो गये। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत का यह कथन कि अपीलाट्स के पिता को तत्समय ही अर्थात भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही समाप्ति के बाद ही दावा पेश किया जाना चाहिए था। उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता की गैरखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जिसे सरप्लस धोषित करवाने हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता की कब्जे काश्त की गैरखातेदारी भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि खसरा नम्बर 54 की 19.05 बीघा भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वादीगण/अपीलांट के पिता के नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है ना ही वादगत् भूमि पर अपीलांट अथवा उनके पिता का कभी कब्जा काश्त रहा है। यदि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय यदि कोई भूल रही गई अथवा भूमि कम दर्ज की गई थी तो तत्समय ही गैर खातेदारी, खातेदारी अथवा खसरा शुद्वि के बाबत् सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण के पिता के नाम तत्समय आवश्यकतानुसार अर्थात राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि दर्ज कर दी गई थी व वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा राज दर्ज की गई थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों व रिकार्ड के बाहर जाकर वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपीलांट/वादीगण उक्त भूमि को बहाल कराने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर नियमानुसार वाद में तनीकयात् कायम करते हुए व तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नम्बर खसरा नम्बर 54 की 19.05 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम बडेरण के पुराना खसरा नम्बर 17 तादादी 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 147/18 तादादी 36 बीघा भूमि संवत् 2008 से व खसरा नम्बर 162/18 तादादी 20 बीघा भूमि संवत् 2014 से व खसरा नम्बर 193/89 तादादी 20 बीघा इसप्रकार कुल 78 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलांट/वादीगण के पिता के नाम कब्जे काश्त में थी। वादगत् भूमि भू–प्रबन्ध विभाग ने भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर 17, 147/18, 162/18 के नये खसरा नम्बर 23, 25, 164, 165, 166, 54 व पुराने खसरा नम्बर 193/89 के नये खसरा नम्बर 133 बनाकर मात्र 59 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज कर पुराने खसरा नम्बर 18 मिन की 20 बीघा भूमि नये खसरा नम्बर 54 में शामिल करके आराजी राज दर्ज कर दी गई। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट के दादा की संवत् 2013 से पूर्व कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि थी जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में अभिलिखित तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई।

1. आया वादीगण वादगत् भूमि के पुरानी आवंटन एवं कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

2. आया वादीगण यह धोषणा करवाने का हकदार है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने वादीगण के पिता की पुराने कब्जे काश्त की भूमि को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आराजीराज दर्ज की, जो अवैद्य व वादीगण के अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन है।

3. आया वादीगण वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज के स्थान पर अपने नाम दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

4. आया वादीगण को भू—प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही समाप्ति के बाद दावा पेश करना चाहिए था। लगभग 34 वर्ष बाद दावा पेश किया है, जो खारिज योग्य है।

5. आया वादीगण का वाद धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में खारिज योग्य है।

6. आया वादीगण का वाद वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज योग्य है।

(4) प्रकरण में तनकी संख्या को साबित करने का भार अपीलांट/वादीगण पर था। अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के पुराने आवंटी एवं कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वादगत् भूमि पर अपीलांट/वादीगण का कभी कब्जा काश्त साबित रहा हो। जबकि उक्त तनकी पूर्णतया राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के पिता के नाम आवंटित व कब्जे काश्त को साबित करता हो।

(5) तनकी संख्या 1 के संबंध में स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि अपीलांट/वादीगण के पिता के नाम सेटलमेंट से पूर्व की कब्जे काश्त की भूमि उनके नाम दर्ज कर दी गई तथा शेष भूमि को आराजीराज दर्ज किया गया। अपीलांट/वादीगण द्वारा इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः उक्त तनकी अपीलांट/वादीगण के विरूद्व तय करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

(6) तनकी संख्या 2 के संबंध में कथन है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अवैद्य व वादीगण के अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन है। इस संबंध में यदि वादगत् भूमि को तत्समय गलत रूप से

आराजीराज दर्ज किया गया था तो वादीगण या उनके पिता को तत्समय ही सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी। वादीगण अथवा उनके पिता द्वारा तत्समय ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादीगण के पिता को उनके कब्जे काश्त के अनुसार उनके नाम दर्ज कर दी गई और शेष भूमि को आराजीराज दर्ज कर दिया गया। जब वादगत् भूमि वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में कभी दर्ज ही नहीं रही है ऐसी स्थिति में सेटलमेंट विभाग द्वारा उनके नाम उक्त भूमि कैसे दर्ज की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी अपीलांट/वादीगण के खिलाफ तय किये जाने में अदालत मातहत द्वारा कोई गलती नहीं की है।

(7) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि संवत् 2008 से पूर्व अपीलांट/वादीगण के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी विकल्प में गैर खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

(8) अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, कायम की गई तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए, स्टेट का जवाब आदि लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सही रूप से तनकीयात् को कायत नहीं किया गया है व ना ही तनकीयात् को साबित करने का भार सही रूप से पक्षकारान् पर डाला गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश

पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30—11—2015 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर